

# UAPA अधिकरण द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के निर्णय का समर्थन

## प्रलिम्सि के लिये:

UAPA अधिकरण, UAPA के प्रमुख प्रावधान

## मेन्स के लिये:

आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद में वृद्धि, सरकार की प्रतिक्रिया के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करने में निजी क्षेत्र की भूमिका

## चर्चा में क्यों?

अपने गठन के पाँच महीने बाद गैरकानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधिकरण ने भारत के कुख्यात संगठनों और इसके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाने के ne Vision केंदर के नरिणय का समर्थन किया।

# मुद्दे की पृष्ठभूमिः

- सितंबर 2022 में गृह मंत्रालय (MHA) ने एक राजपत्र अधिसूचना में PFI और इसके सहयोगी संगठनों को "गैरकानूनी संगठन" घोषित किया ।
- MHA द्वारा जारी अधिसूचना ने <u>गैरकानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967</u> के तहत पाँच वर्ष के लिये रिहेब इंडिया फाउंडेशन (RIF) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सहित PFI तथा उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया।

#### **UAPA:**

- परचिय:
  - UAPA का उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतविधियों में शामिल संगठनों पर रोक लगाना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संपरभुता के खिलाफ निर्देशित गतविधियों से निपटना है। इसे आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।
    - गैरकानूनी गतविधियाँ भारत में क्षेत्रीय अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या सगठन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती हैं।
  - यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है और अधिकतम दंड के रूप में मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास का प्रावधान करता है।
- UAPA के प्रमुख प्रावधान:
  - अन्य बातों के अलावा UAPA आतंकवादी गतविधियों से निपटने हेतु विशेष प्रक्रियाएँ प्रदान करता है, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति/संगठन को आतंकवादी/आतंकवादी संगठन के रूप में नामति कर सकती है यदि:
    - आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है
    - आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है,
    - आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या
    - अन्यथा आतंकवादी गतविधि में शामलि है।
  - ॰ अधनियिम के तहत एक जाँच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त करने हेतु पुलिस महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति परापत करने की आवश्यकता होती है।
    - इसके अतरिकित यदि जाँच <u>राष**टरीय जाँच एजेंसी** (</u>National Investigation Agency- NIA) **के अधिकारी द्वारा की** जाती है, तो ऐसी संपत्ति की ज़ब्ती हेतु NIA के महानिदशक की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।
    - यह NIA के अधिकारियों (निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों) को उन मामलों की जाँच करने का **अधिकार** देता है जो उप अधीक़षक या सहायक पुलसि आयुकत या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों दवारा संचालित किय जाते
- प्रक्रिया का अनुपालन:

- किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित करने की सूचना राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से और उस क्षेत्र में लाउडस्पीकरों के माध्यम से या संगठन के कार्यालयों पर सूचना की प्रति चिपिकाकर दी जाती है जहाँ संगठन अपनी गतिविधियों का संचालन करता है।
  - अधिसूचना **परकाशन की तारीख से पाँच वर्ष तक वैध रहती है**, जो UAPA के तहत न्यायाधिकरण के आदेश के अधीन है।
- ॰ जब केंद्र किसी संगठन को गैरकानूनी घोषति करता है, तो केंद्र द्वारा एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है ताकि आगे की जाँच कर पुष्टि की जा सके कि निर्णय उचित है या नहीं।
  - केंद्र द्वारा अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक कि न्यायाधिकरण घोषणा की पुष्टि नहीं करता है और आदेश आधिकारिक राजपतर में परकाशति नहीं होता है।
- ॰ सरकार को राजपत्र अधिसूचना जारी करने के 30 दिनों के भीतर अधिसूचना को न्यायाधिकरण को भेजना होगा ताकि प्रतिबंध की पुष्टि हो सके।
  - इसके अतिरिक्त MHA को उन मामलों के साथ न्यायाधिकरण को संदर्भित करना चाहिय जो NIA, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस बलों ने देश भर में संगठनों और उसके सदस्यों के खिलाफ दर्ज किये हैं।

## UAPA न्यायाधकिरण:

- UAPA में सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है ताकि इसके प्रतिबंधों को दीर्घकालिक कानूनी वैधता मिल सके।
  - ॰ इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानवितृत अथवा वरतमान न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- यह प्राधिकरण संबंधित संगठन से अनुरोध करता है कि वह अधिसूचना प्राप्त करने की तारीख (जिस तारीख पर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी) के 30 दिनों के भीतर अपने अस्तित्तृव की निरंतरता के लिये औचित्य प्रदान करे।
  - ॰ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्राधिकरण 6 महीने के भीतर यह तय करने के लिये जाँच कर सकता है कि क्या संगठन को गैरकानूनी घोषति करने के लिये परयापत सबुत हैं अथवा नहीं।

### UAPA की आलोचना:

- ठोस और प्रक्रियात्मक प्रक्रिया का अभाव: UAPA की धारा 35 सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति देती है। सरकार ऐसा केवल बड़े संदेह के आधार पर और बिना किसी प्रक्रिया के कर सकती है।
- आतंकवादी गतविधियों में संदेह वाले लोगों को हिरासत में लेने और गरिफ्तार करने का राज्य का अस्पष्ट अधिकार इसे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई सवतंतरता पर अधिक नियंत्रण देता है।
- असहमति के अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध: असहमति का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है और इसलिय अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखिति परिस्थिति को छोड़कर किसी भी स्थिति में इसे कम नहीं किया जा सकता है।
  - वर्ष 2019 में UAPA में संशोधन ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने की आड़ में सत्ताधारी सरकार को असहमति के अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी, जो एक विकासशील लोकतांत्रिक समाज के लिये हानिकारक है।
- समय का अपव्यय: लगभग 43% मामलों में चार्जशीट दायर करने में एक या दो वर्ष से अधिक का समय लग जाता है। इससेन्याय मिलने में देरी होती है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन संकटों का मुकाबला करने के लिये आवशयक उपायों की भी चरचा कीजिये। (2021)

प्रश्न. भारत सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.) 1967 और एन.आई.ए. अधिनियम में संशोधन द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मज़बूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के कारणों पर विस्तार से चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिये। (2019)

## <u> स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस</u>

PDF Reference URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uapa-tribunal-upholds-centre-s-decision-to-ban-pfi